राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्र. 1686 मि.सं. / रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.) / पं.ग्रा.वि.वि. / 2020 रायपुर, दिनांक 16/3/2020

प्रति,

कलेक्टर सह अध्यक्ष,
प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
जिला समस्त।

विषयः— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 606 / 2018 के अनुसार अधिसूचित ग्राम पंचायतों में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य पूर्ण होने के संबंध में।

सन्दर्भः— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 606 / 2018 दिनांक 30.04.2019 के संबंध में।

——00——

विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश क्रमांक 606 / 2018 दिनांक 30.04.2019 के परिपालन में राज्य के प्रत्येक जिले से 03 ग्राम पंचायतों को अधिसूचना क्रमांक 216 / स / रा.स्व.भा.मि.ग्रा. / प.ग्रा.वि.वि. / 2019 दिनांक 12.06.2019 असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचित किया गया। अधिसूचित सभी ग्राम पंचायत में अधिसूचना के प्रकाशन के छः माह के भीतर ठोस अपशिष्ट नियम 2016 व प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2016 के सभी प्रावधानों के अनुसार मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना था।

2/ प्राप्त जानकारियों से आपके जिले की 03 अधिसूचित ग्राम पंचायतों में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एवं प्लास्टिक प्रबंधन हेतु सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा सभी अधिसूचित ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण और पृथक्करण का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। चूंकि NGT के संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय को उक्त के संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा, अतः कृपया संलग्न घोषणा पत्र प्रारूप में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र इस कार्यालय को दिनांक 26.03.2020 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः— घोषणा पत्र का प्रारूप।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

पृ.क्रः–1687/मि.स./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2020 रायपुर, दिनांक 16/3/2020

प्रतिलिपिः–

1. **स्टॉफ ऑफिसर**, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचानर्थ।
2. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचानर्थ संप्रेषित।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सह,** सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जिला समस्त की ओर सूचानर्थ संप्रेषित।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

कार्यालय लेटर हेड

घोषणा पत्र

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के परिपालन में अधिसूचना क्रमांक 216/स/रा.स्व.भा.मि.ग्रा./प.ग्रा.वि.वि./2019 दिनांक 12.06.2019 में अधिसूचित ग्राम पंचायत – .... विकासखण्ड – .... जिला – .... में ठोस अपशिष्ट नियम–2016 व प्लास्टिक अपशिष्ट नियम–2016 के सभी प्रावधानों के अनुसार सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा अधिसूचित ग्राम पंचायत .... में कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण का कार्य सूचारू रूप से किया जा रहा है।

दिनांक :

कलेक्टर के हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

Scanned with CamScanner